परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

———————————संलग्न है———————

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

9

15 01352666380

संख्या— 690 / 111(2)/10–18(सा०आ०)/2010 टीसी०–4

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्र प्राप्ति का प्रमाणक 470
पत्रावली संख्या
प्राप्ति का दिनांक 25/2/2010

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 05 फरवरी, 2011

विषयः– विधानसभा क्षेत्र–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो को प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग०क्षे०, लो०नि०वि०, पौड़ी द्वारा विधानसभा क्षेत्र–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 05 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 189.00 लाख (₹ एक करोड़ उन्यासी लाख मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/111(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत अनुमान के सापेक्ष कम व्यय होने की दशा में बचत की धनराशि यथा समय समर्पित की जायेगी।

7– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बजट मैनुअल के समस्त संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

--2--

9— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10— इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 30-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 774/XXVII/(2)/2010 दि0 01 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:- 6985 (1)/III(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0-4 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद रूद्रप्रयाग/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

महत्वपूर्ण

Received 18 20/4/2011

प्रतिलिपि समस्त अ0अ0 को शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार तत्काल आ0 कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि का0अ0 (प्रा0)/बजट सहा0/स्थ0 सहायक लेखाकार को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु प्रेषित।

बजट पत्रिका में अंकित किया।

26/4/11

21/12

शा0सं0– 6905 / I I I(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0–4 दि0 03 फरवरी, 2011
का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	टी0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	जनपद रूद्रप्रयाग में काण्डई–बेरांगना–पाटा (बचणस्यू) मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
02	जनपद रूद्रप्रयाग में डुंगा (बचणस्यूं) से आरस्यूँ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
03	जनपद रूद्रप्रयाग में चोपड़ा–डुग्री–छापड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
04	जनपद रूद्रप्रयाग में सारी–बिजराकोट मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
05	जनपद रूद्रप्रयाग में जखोली में धान्यूं–कोटी –धरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
	योग:–	15.00	189.00	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

Photo copy Attested

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

AAE